मुजहना MUJAHANA weekly

77, Khera Khurd, Delhi-110082 (BHARAT)
R.N.I. REGISTRATION No.68496/97

Mujahana• Bilingual-Weekly• Volume 21 Year 21 **ISSUE 21BY, May 20-26, 201**6. Published every Thursday for Manav Raksha Sangh, Registered Trust No 35091 by Ayodhya Prasad Tripathi, at 77, Khera Khurd, Delhi – 110082. ``Phone +91-9868324025.; +(91) 9152579041 . Printed by Ayodhya Prasad Tripathi at 77 Khera Khurd, Delhi-110082. **Editor: Ayodhya Prasad Tripathi.** Processed on Desk Top Publishing & CYCLOSTYLED by **Ayodhya Prasad Tripathi.** Email: aryavrt39@gmail.com; Web site: http://aarvavrt.blogspot.com and http://www.arvavrt.com Muj16W21BY LG NCR DELHI Replied

ॐ
Ph: (+91)9868324025/9152579041
सार्वभौम आर्यावर्त सरकार
७७ खेड़ा खुर्द,दिल्ली ११००८२.

Letter No. ..... Date.....

IN THE COURT OF SH. SANDEEP GUPTA MM ROHINI DISTT. COURTS, DELHI

FIR No. 406/2003 u/s 153A PS NARELA DELHI.
AND
FIR No. 166/2006 u/s 153A & 295A PS NARELA DELHI.

सुनवाई की तारीख़: जुलाई २८, २०१५.

महामहिम बान की मून जी!

http://pgportal.gov.in पर Registration Number DARPG/E/2015/05863 द्वारा लिखे गए शिकायत को कोई भी पढ़ सकता है. जिसका 19 May 2015 को एलिजाबेथ का जवाब आया है, Closed (NO ACTION REQUIRED)

उपनिवेशवासी कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता. क्योंकि उपनिवेश से मुक्ति का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की धारा १२१ के अधीन मृत्युदंड का अपराध है.

इस धारा का नियन्त्रण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ के अधीन एलजी के ही पास है. मैं उपनिवेश विरोधी हूँ. मुझे मृत्युदंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं है?

कुरान के अनुसार अल्लाह व उसके इस्लाम ने मानव जाति को दो हिस्सों मोमिन और काफ़िर में बाँट रखा है| धरती को भी दो हिस्सों दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम में बाँट रखा है| (कुरान ८:३९). काफ़िर को कत्ल करना व दार उल हर्ब धरती को दार उल इस्लाम में बदलना मुसलमानों का जिहाद यानी काफिरों की हत्या करने का असीमित संवैधानिक मौलिक मजहबी अधिकार है| कुरान के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता क्यों नहीं है? (एआईआर, कलकत्ता, १९८५, प१०४).

मोहम्मद पर टिप्पणी करने के कारण कमलेश तिवारी पर रासुका लगा है. कानूनविद राज्यपाल केसरी के शासन में कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग को लेकर हुए उपद्रव और आगजनी में २.५ लाख से अधिक सहिष्णु और सर्व धर्म समभाव वादी मुसलमान मालदा में शामिल हुए. थाना फूंका गया. पुलिस की पिटाई हुई. ईमामों ने ४१ करोड़ रु० से अधिक राशि के फतवे जारी किये. किसी मुसलमान पर रासुका या मकोका लागू करने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई?

ईसाई सहित काफ़िर ईशनिंदा और कत्ल होने की धमकियां सुनने के लिए विवश हैं. गौ मांस खाना सबका मानवाधिकार है. भारतीय दंड संहिता की धारा १०२ के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से मस्जिद, अज़ान और खुत्बों का विरोध करने के कारण मैं ४२ बार जेल गया हूँ. ५० अभियोग चले हैं. ३ आज भी लम्बित हैं. मुझ पर अभियोग चलाने की आवश्यकता रही? बपतिस्मा/अज़ान देने वालों के विरुद्ध सन १८६० आजतक अभियोग चलाने की आवश्यकता क्यों नहीं होती?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २७ का उल्लंघन कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मुसलमानों को वेतन और हज अनुदान क्यों दिया जा रहा है? (एआईआर, एससी, १९९३, प० २०८६) व (प्रफुल्ल गोरोडिया बनाम संघ सरकार, http://indiankanoon.org/doc/709044/) किसी कार्यवाही की आवश्यकता क्यों नहीं है?

मुस्लिम निजी कानून, तीन तलाक, धर्मान्तरण, ४ निकाह और वक्फ बोर्ड के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता क्यों नहीं है?

अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी: फोन ९१५२५७९०४१

Registration Number is : DARPG/E/2016/08366

http://www.aryavrt.com/muj16w21by-lg-ncr_delhi-replied

२२/०५/१६